

उत्तराखण्ड सरकार



उत्तराखण्ड शासन .

वृत्त का नाम :- सिविल वृत्त लोनिंगिं रुद्रप्रयाग

खण्ड का नाम :- प्रान्तीय खण्ड लोनिंगिं रुद्रप्रयाग

वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

कार्य का नाम

जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत तिलवाड़ा-तोलब-मयकोटी व मालकोटी-डांगी-गुनांच हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन कर सुधार एवं डामरीकरण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 7.25 किमी।

क्षेत्रफल :-

| | | |
|--------------------|---|-----------------|
| वन पंचायत भूमि | - | 2.3750 हेक्टेयर |
| सिविल सोयम वन भूमि | - | 0.0000 हेक्टेयर |
| आरक्षित वन भूमि | - | 0.0000 हेक्टेयर |
| नाप भूमि | - | 1.1750 हेक्टेयर |
| कुल क्षेत्रफल - | | 3.550 हेक्टेयर |
| वांछित क्षेत्रफल - | | 2.3750 हेक्टेयर |

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980

के अन्तर्गत भारत सरकार,
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की
स्वीकृति प्राप्त करने हेतु वन
भूमि
हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित करने
के प्रपत्र/प्रमाण पत्र

चैक लिस्ट / विषय सूची

| परियोजना का नाम:- | | जनपद रुद्रप्रभाग के विकासस्थान अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत तिलवाडा-तोलब-मयकोटी व मालकोटी-डागी-गुनाड हल्का बाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन कर सुधार एवं डामरीकरण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि इस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 7.25 किमी। | |
|---------------------------|---|--|-----------|
| क्र.सं | प्रस्ताव का नाम | पेज नं | टिप्पणी |
| 1. मुख्य सलंगनक | | | |
| 1.1 | सक्षक अधिकारी / आन-लाईन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु नामित अधिकारी / कर्मचारी का प्रमाण पत्र। | 1 | |
| 1.2 | सर्वे ऑफ इण्डिया टोपोशीट गानवित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण वन क्षेत्र को दर्शाया गया हो। | 2 | |
| 1.3 | मैप जिसमें टोपोशीट पर प्रस्तावित क्षेत्र को जी0पी0एस0 के साथ दिखाया गया हो। | 3 | |
| 1.4 | गुगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण अंकित हो तथा वैकल्पिक समरेखण एवं प्रस्तावित भूमि को पूर्ण रूप से दर्शाया गया हो। | 4 | |
| 1.5 | प्रस्तावित कार्य हेतु वनभूमि के मांग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए एक विस्तृत आख्या। | 5 | |
| 1.6 | जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त वन अधिकारी अधिनियम 2006 का प्रमाण-पत्र मय सलंगनकों के(नये प्रारूप में) | 6 | |
| 1.7 | प्रस्तावित परियोजना का 1:50,000 के पैमाने का मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थान को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो। | 7 | |
| 1.8 | रंगीन गूगल मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो। | 8 | |
| 1.9 | यदि प्रस्तावित कार्य हेतु गैर वनभूमि अथवा राजस्व वनभूमि की आवश्यकता हो तो भूमि धर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं भूमिधर होने का प्रमाण-पत्र। | 9 | |
| 1.10 | भूमिधर एवं प्रयोक्ता एजेन्सी के बीय हुए करार(पी0डी0एफ0) | 10 | |
| 1.11 | विस्तृत लागत-लाभ-विश्लेषण प्रमाण पत्र(यदि लागू हो)। | — | लागू नहीं |
| 2. अतिरिक्त सलंगनक | | | |
| 2.1 | प्रस्ताव के बारे में विवरण एवं प्रस्ताव की औचित्य एवं आवश्यकता। | 11 | |
| 2.2 | परियोजना हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति। | 12 | |
| 2.3 | संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट।(प्रयोक्ता एजेन्सी तथा वन विभाग एवं राजस्व विभाग के साथ)। | 13 | |
| 2.4 | वैकल्पिक सरेखणों को मानचित्र पर प्रदर्शित कर उनके निरस्ता किये जाने का औचित्य एवं कारण। | — | लागू नहीं |
| 2.5 | जिलाधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वनभूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र। | 14 | |

| | | | |
|------|--|----|-----------|
| 2.6 | प्रभावित वनभूमि का लैण्ड शैड्यूल(रिजर्व फारेस्ट में प्रभागीय वनाधिकारी तथा राजस्व भूमि में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित) | 15 | |
| 2.7 | परियोजना की लम्बाई, चौड़ाई तथा कुल क्षेत्र ३० मे। भूमि विभिन्न वर्ग वाद आरक्षित, निजी वन, वन पंचायत, निजी भूमि आदि। | 16 | |
| 2.8 | परियोजना का भूमि उपयोग का वार-चार्ट (प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित)। | 17 | |
| 2.9 | क्षतिपूरक, वृक्षारोपण परियोजना सिविल भूमि पर(१० दर्घ दरें)। | 18 | |
| 2.10 | क्षतिपूरक, वृक्षारोपण वनस्थल उपर्युक्ता प्रमाण-पत्र(प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा)। | 19 | |
| 2.11 | प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण को बहन किये जाने का प्रमाण-पत्र(प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित)। | 20 | |
| 2.12 | प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण का प्रावक्लन। | 21 | |
| 2.13 | प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण की धनराशि बहन किये जाने का प्रमाण-पत्र। | 22 | |
| 2.14 | प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त 100 वृक्षों के वृक्षारोपण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र(1 हेठ से कम में लागू)। | - | २११८ नहीं |
| 2.15 | परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची एवं उनके वैज्ञानिक नाम(सूची आरक्षित वनक्षेत्र, सिविल, वन पंचायत एवं निजी भूमि दोनों अलग-अलग बनायी जानी होगी। | 23 | |
| 2.16 | बांज प्रजाति के वृक्षों के पातन हेतु वन संरक्षक की संस्तुति का प्रमाण पत्र। | 24 | |
| 2.17 | अगर वृक्षों का पातन नहीं होना है तो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र। | 25 | |
| 2.18 | न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण पत्र। | 26 | |
| 2.19 | परियोजना के निर्माण से उत्पादित मलवा निरस्तारण की योजना(निर्धारित प्रारूप गं)। | 27 | |
| 2.20 | प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण सम्बन्धी प्रमाण पत्र। | 28 | |
| 2.21 | यदि प्रस्तावित परियोजना किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के 10 किमी० की परिधि में आता है, तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र। | - | - |
| 2.22 | यदि प्रस्तावित परियोजना किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत आता है, तो ऐसे प्रकरणों में राज्य वन्य जीव सलाहकार बोर्ड, भारतीय वन्य जीव परिषद एवं मा० उच्चतम न्यायालय की अनुमति। | - | - |
| 2.23 | वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र। | 29 | |
| 2.24 | आम-सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र। | 30 | |
| 2.25 | प्रस्तावित परियोजना का ले-आउट प्लान एवं प्रावक्लन तथा सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित तथा मय नाम एवं पद के साथ। | 31 | |
| 2.26 | अवयव के अनुसार निर्माणाधीन कार्यों का विवरण(यदि | - | - |

| | | |
|------|--|----|
| | लागू हो तो)। | |
| 2.27 | कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण पत्र। | 32 |
| 2.28 | भू-वैज्ञानिक की आख्या। | 33 |
| 2.29 | टारक-फोर्स रिपोर्ट। | 34 |
| 2.30 | मानक शर्तें का विवरण। | 35 |
| 2.31 | प्रस्तावक विभाग द्वारा मानक शर्तों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र। | 35 |
| 2.32 | टारक-फोर्स एवं भू-वैज्ञानिक की शर्तों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण पत्र। | 36 |
| 2.33 | धार्मिक / पौराणिक / ऐतिहासिक महत्व का स्थल न होने का प्रमाण-पत्र। | 37 |
| 2.34 | वन्य जीव / वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र। | 38 |
| 2.35 | परियोजना के निर्माण में प्रयुक्त मिट्टी का तेल एवं रसोई गैस का प्रमाण-पत्र। | 39 |
| 2.36 | लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र। | 40 |
| 2.37 | एन०पी०वी० की देयता का प्रमाण-पत्र। | 41 |
| 2.38 | मा० उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि की देयता का प्रमाण-पत्र। | 42 |
| 2.39 | वनभूमि के लीज रेट का प्रमाण-पत्र। | - |
| 2.40 | लीज अवधि का प्रमाण-पत्र। | 43 |
| 2.41 | आर०सी०सी० पिलरों के सीमांकन का प्रमाण-पत्र। | 44 |
| 2.42 | आर०सी०सी० पिलरों के व्यय को वहन करने हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा दिया गया। | 44 |
| 2.43 | क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु गैर भूमि उपलब्ध न होने का मुख्य सचिव द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र(अगर लागू हो) | - |
| 2.44 | चैक लिस्ट / फैक्ट शीट। | 45 |

अन्य प्रपत

46-53

प्रतिवेदन

परियोजना का नाम :

जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत तिलवाड़ा-तोलब-मयकोटी व मालकोटी-डांगी-गुनांउ हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन कर सुधार एवं डामरीकरण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 7.25 किमी।

इस मार्ग की स्वीकृति राज्य योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 6700 / 111 (2) / 11-129(प्राइवेट) / 2011 दिनांक 22.12.2011 के द्वारा 7.25 किमी। लम्बाई हेतु लागत रु 25.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त है (छाया प्रति संलग्न)।

यह मार्ग पीएमजीएसवाई खण्ड के अन्तर्गत निर्मित तिलवाड़ा-वार्वाई मोटर मार्ग के किमी 4 से प्रारम्भ होकर ग्राम तोलब, मालकोटी तक जाता है। मार्ग पूर्व में 3.00 मीटर चौड़ाई में हल्का वाहन निर्मित है। मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तन (3.00 से 5.95 चौड़ाई में) करने हेतु एवं सुरक्षित यातायात हेतु मार्ग का चौड़ीकरण कर सुधार व डामरीकरण किया जाना आवश्यक है। मार्ग के चौड़ीकरण में 2.3750 हेतु वन पचायत भूमि 0.000 है। सिविल भूमि 0.0000 है। आरक्षित वन भूमि एवं 1.1750 है। नाप भूमि पड़ती है। मार्ग के चौड़ीकरण होने उक्त गाव के साथ-साथ ही लगभग 700 की जनसंख्या लाभान्वित होगी। मार्ग के नव निर्माण हो जाने से इस क्षेत्र में रित्त अति दूरस्थ गावों/तोकों को भी यातायात, रास्थ, शिक्षा आदि सुविधाओं का लाभ मिलेगा तथा रक्षानीय उत्पाद जैसे आलू, गाल्या, राजमा आदि को याजार तक लाने में सुविधा होगी।

अतः मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कर लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण हेतु प्रस्तुत है।

भूमि के प्रकार-

| | | | |
|-------------------------|------------|----------|------------------------|
| वन पच | उ भूमि | - | 2.3750 हेक्टेयर |
| सिविल | थम वन भूमि | - | 0.0000 हेक्टेयर |
| आरक्षि | न भूमि | - | 0.0000 हेक्टेयर |
| नाप भू | | - | 1.1750 हेक्टेयर |
| कुल | फल | - | 3.5500 हेक्टेयर |
| वांछित क्षेत्रफल | | - | 2.3750 हेक्टेयर |

उक्त प्रस्ताव के अन्य वांछित प्रमाण पत्र एवं प्रपत्र संलग्न किये गये हैं। अतः दाक निर्माण विभाग को 2.3750 है। वन भूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

कविंद्र अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

अधिश्वरी अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग